

	<p>us kuy l hM4 dkyi kjs ku fyfeVM भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी dlnh; jkT; Qke] l jrx<+ जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone No.: 01509-223873 Email ID-ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>
---	---	--

सी.एस.एफ./ l jrx<+ /2-65/ कृषि/2021-22/

दिनांक :- 15.01.2022.

vYi dkyhu fufonk l ipuk

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राज.) में jch 2021-2022 में बोई गई l j l k 2191.00 , dM] rkfj; k 125-00 , dM o puk 4531.50 , dM dh dVkbk Fkfl x करने हेतु सीलबंद निविदायें/खुली बोली चकवार ब्लॉकवार दिनांक 01-02-2022 को दोपहर 1.00 बजे तक आमत्रित की जाती है, उसी दिन सांय 2.30 बजे कमेटी द्वारा खुलीबोली करवाने के बाद प्राप्त निविदाएं खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, निविदा के दिन दोपहर 12.00 बजे तक कृषि संभाग, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ से, धरोहर राशि रूपये 10000/- मात्र प्रत्येक चक के लिए और निविदाफार्म शुल्क रु. 236/- डी.डी./RTGS/NEFT के द्वारा **“NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH”** के पक्ष में जमा कर प्राप्त किए जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। सफल बोली दाता/ निविदा दाता को छोड़ी गई फसल की बोली/ निविदा दर की 25 प्रतिशत रकम कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करानी होगी, तथा असफल बोलीदाता की राशि बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना स्थायी पता के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड / पैन कार्ड की प्रति देनी होगी।

i zU/kd 1/m-1/2

fufonk i zi =

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़।

jch 2021-2022 dh QI yka dh gkfk l s dVkbz @xgkbz ds fy, VJMj fnukWd 01-02-2022-

dk; l dk fooj.k :- खेतों की खड़ी फसल को काटना इकट्ठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सेंटर तक पहुंचाना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा फार्म में अतिरिक्त रुपये जमा कराना। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होने तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगे बाहर नहीं जायेगा।

Cykd uEckj	pd UKEcj	फसल का fctkbz {ks= (.dM e)	nj ifr ,dM : i ; ka ea	
			Bdlnkj }kjk QkeZ dks nh tkus okyh jkf'k	Bdlnkj }kjk QkeZ से ली tkus okyh jkf'k
सरसों फसल				
Cykd 1	38 STG	228.00		
	40 STG	116.00		
	42 STG	282.00		
	44 STG	220.00		
	BRP-I	124.00		
TOTAL :-		970.00		
Cykd 2	RPM-1	58.00		
	RPM-2	108.50		
	RPM-3	43.00		
	RPM-4	200.00		
	31 A PBN	89.00		
	31 B PBN	150.00		
	33 PBN	63.00		
TOTAL :-		711.50		
Cykd 3	34 PBN	165.50		
	3 SGM	124.00		
	4 SGM	220.00		
TOTAL :-		509.50		
G.TOTAL		2191.00		

ठेकेदार के हस्ताक्षर.....
 नाम व पूरा पता:.....

 मोबाईल न0.....
 निविदादाता का बैंक खाता संख्या
 IFSC CODE/BRANCH NAME

fufonk i zi =

jch 2021-2022 dh QI yka dh gkfk l s dVkbz @xgkbz ds fy, VSMj fnukd 01-02-2022-

dk; l dk fooj.k :- खेतों की खड़ी फसल को काटना इकट्ठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सेंटर तक पहुंचाना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा फार्म में अतिरिक्त रुपये जमा कराना। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होने तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगे बाहर नहीं जायेगा।

Cykd uEckj	pd UKEcj	फसल का fctkbz (k= (, dM e)	nj ifr , dM : i ; ka ea	
			Brdnkj }kjk OkeZ dks nh tkus okyh jkf'k	Brdnkj }kjk OkeZ से ली tkus okyh jkf'k
तोरिया फसल				
Cykd 1	38 STG	75.00		
TOTAL :-		75.00		
Cykd 3	3 SGM	24.00		
	4 SGM	26.00		
TOTAL :-		50.00		
G.TOTAL		125.00		
चना फसल				
Cykd 1	35 STG	240.00		
	37 STG	474.00		
	38 STG	293.00		
	40 STG	300.00		
	BRP-I	197.00		
TOTAL :-		1504.00		
Cykd 2	RPM-1	535.00		
	RPM-2	485.00		
	RPM-3	218.00		
	RPM-4	345.00		
	31 A PBN	182.00		
	31 B PBN	325.00		
	33 PBN	269.00		
TOTAL :-		2359.00		
Cykd 3	34 PBN	422.50		
	3 SGM	79.00		
	4 SGM	167.00		
TOTAL :-		668.50		
G.TOTAL		4531.50		

ठेकेदार के हस्ताक्षर.....

नाम व पूरा पता:.....

मोबाईल न0.....

निविदादाता का बैंक खाता संख्या

IFSC CODE/BRANCH NAME

.....

jk"Vh; cht fuxe fyfeVM
dlnh; jkT; OkeI I j r x <+ ½ j k t - ½
jch 2021&22 QI yka dh dVkbZ ds fy, fu; e , oa 'kr

1. सफल निविदा दाता/बोलीदाता को रुपये 10000/- मात्र प्रत्येक चक व फसल के लिए धरोहर राशि के रूप में डी.डी. /RTGS/NEFT के द्वारा **“NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH”** के पक्ष में जमा कराना होगा।
2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पता के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड / पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य हैं।
3. **सफल ckyh nkrk/ fufonk nkrk को कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर : i ; s 10000@& ek= iR; d pd के हिसाब से अमानत राशि के रूप में फार्म खाते में tek djkuh gksxk। सफल ckyh nkrk/ fufonk nkrk के द्वारा पूर्व में जमा /kjkgj jkf k अमानत jkf k के रूप परिवर्तित की जा सकती है। जमा अमानत राशि को dk; Z I UrkSk tud < * I s i j k gkus ds ckn fcuk 0; kt ds ykV/k nh tk; sxhA vkoVr {ks= dh 25 ifr kr jkf k कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर tek djkuh gksxh “kSk 75 ifr kr jkf k Fkfl x “kq djus I sigys tek djkuh gksxhA jde tek ugha djkuh ij /kjkgj jkf k tCr dj yh tk; sxh A vl Qy ckyh nkrk dks jkf k cId [kkrs ea tek dj nh tk; sxhA**
4. निविदादाता/बोलीदाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से फार्म प्रमुख का होगा।
5. सरसों/तोरिया, तारामीरा व चना फसलों की कटाई के लिए ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई सम्बन्धित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर लगाने होंगे, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होंगे, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई सरसों को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा।
7. सरसों/तोरिया व तारामीरा की थ्रेसिंग ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से व चने की थ्रेसिंग फार्म कम्बाइन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा।
8. अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोडिंग सेन्टर पर पहुँचाना होगा। संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी।
9. ठेकेदार फार्म में कोई पंजु आदि नहीं रख सकेगा। नीरा सांय 5 बजे तक ही ले जा सकेगें तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के चैक करने पर ठेकेदार चैक कराने से मना नहीं कर सकेगें।
10. कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के दौरान फार्म को कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
12. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
13. फसलों की कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

14. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर ,सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा इसके अनुसार ही कार्य करूँगा।
15. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकादर द्वारा वहन किया जाएगा फार्म लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
16. अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में घरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
17. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
18. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
19. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

.....

fufonknkrk ds gLrk{kj